



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

DPA

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

वेब-urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/4089

दिनांक:- 09/09/2022

---कार्यवाही विवरण:---

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 08.09.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (08.09.2022)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 24.08.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :- (08.09.2022)

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
08.09.2022	उत्तर	उजलिया	33, 51 व 52	203.62 बीघा	Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort प्रयोजनार्थ योजना
आवेदक	जोधपुर विकास प्राधिकरण की योजना				
विषय:-	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.62 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के मध्य स्थित राजस्व मार्ग को 100 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि आरक्षित करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण कर अग्रिम कार्यवाही की जावे। 2. उक्त योजना की क्रियान्विति के समय पानी के सुगम निकास की व्यवस्था, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि की उचित व्यवस्था किए जाने हेतु अभियान्त्रिकी शाखा को निर्देशित किया गया। 3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप-नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 4090-4094.
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 08/09/2022

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-1

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 08.09.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री अवधेष मीणा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर | |

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर